बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि० प्रा०/नि०-1-23/2014 696 /पटना, दिनांक 16/07/2018

प्रेषक :

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय : **बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में।**

महाशय,

प्राधिकार के पत्रांक 1083 दिनांक 04.10.2013 द्वारा राज्य की सभी सहकारी समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकार को उपलब्ध कराने का निदेश था। प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक 631 दिनांक 04.07.2018 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया जा चुका है कि जिला स्तर तक की सहकारी समितियों का प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी से, प्रमंडल स्तर की सहकारी समितियों का प्रस्ताव प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक से एवं राज्य स्तरीय सहकारी समितियो का प्रस्ताव निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा सभी विहित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए प्राधिकार को भेजा जाय।

2. प्राधिकार द्वारा यह भी निदेशित किया गया था कि निर्वाचन व्यय के लिए मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पक्ष में भुगतेय ₹ 5000/- (पाँच हजार रूपये) की राशि का CTS बैंक ड्राफ्ट संबंधित सहकारी समितियों की उपविधियाँ के साथ प्राधिकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय (विहित प्रपत्र की प्रति संलग्न)।

3. प्राधिकार का प्रयास है कि सहकारी समितियों का निर्वाचन यथासंभव एक समूह में कराया जाय ताकि सहकारी समितियाँ, सहकारिता पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी सालों भर निर्वाचन कार्य में व्यस्त नहीं रहें तथा सहकारी समितियों के माध्यम से विकास के कार्य कर सकें। पूर्व से निर्देशित था कि अक्टूबर और अप्रैल में निर्वाचन देयता का प्रतिवेदन प्राधिकार को भेजा जाय, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रति 120 दिन (चार माह) पर निबंधक, सहयोग समितियाँ/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/ जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधीन समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव निम्नवत प्राधिकार को प्रेषित करेंगे:-

क्रमांक	**निर्वाचन देयता अवधि**	**सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन प्रस्ताव उपलब्ध कराने की तिथि**
1.	01 जनवरी से 30 अप्रैल तक निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव	01 सितम्बर
2.	01 मई से 31 अगस्त तक निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव	01 जनवरी
3.	01 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव	01 मई

4. बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 के नियम 21 (म) (ख)(i) के तहत मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि से अधिकतम 120 दिनों के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न कराना अनिवार्य है। इसके पूर्व निबंधक, सहयोग समितियाँ/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/ जिला सहकारिता पदाधिकारी को संबंधित समिति से निर्वाचन शुल्क समेत सभी कागजात प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके

पूर्व यह भी आवश्यक है कि समितियाँ ससमय निर्वाचन की तैयारी कर लें। निर्वाचन की तैयारी निम्नवत कार्यक्रम के अनुरूप होगी:-

क्रमांक	तैयारी कार्यक्रम	प्रतिवेदन उपलब्ध कराना
1.	समिति द्वारा मतदाता सूची तैयार करना/ सहकारिता विभाग के निदेशों एवं अधिनियम के आलोक में उपविधि की समीक्षा करना/ निर्वाचन शुल्क के रूप में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय ₹5000/ का बैंक ड्राफ्ट की व्यवस्था करना तथा ससमय निबंधक, सहयोग समितियॉ/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ/ जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ मतदाता सूची समर्पित करना।	निर्वाचन देय तिथि से कम से कम 150 दिन पूर्व
2.	समितियों से प्राप्त निर्वाचन व्यय की राशि, मतदाता सूची, अद्यतन उपविधि, सभा बही, सदस्यता बही, पिछला निर्वाचन प्रमाण-पत्र इत्यादि के आधार पर निबंधक, सहयोग समितियॉ/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ/ जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जांच करना तथा जांचोपरांत मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय ₹5000/- का बैंक ड्राफ्ट एवं उपविधि के साथ निर्वाचन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राधिकार को प्रेषित करना।	निर्वाचन देय तिथि से कम से कम 120 दिन पूर्व

कृपया उक्त के आलोक में निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,
16/7/18
(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांकः 696 पटना, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः प्रबंध निदेशक, काम्फेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियॉ एवं दुग्ध उत्पादक सहयोग संघ का निर्वाचन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में उपर लिखित कार्यक्रम के अनुरूप कृपया प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु चौमाही प्रतिवेदन का प्रपत्र ।

जिला का नाम : ....

प्रतिवेदन की अवधि –प्रथम/द्वितीय/तृतीयचौमाही*

वर्ष : ....

क्रम सं॰	प्राथमिक/केन्द्रीय/ शीर्ष सहकारी* समितियों का नाम	निबंधन संख्या	प्रखंड का नाम	शीर्ष सहकारी समिति जिससे संबद्ध है	सदस्यों की संख्या	विगत निर्वाचन की तिथि	निर्वाचन की देय तिथि	समिति अवक्रमित है अथवा नहीं?	बैंक ड्राफ्ट संख्या/ दिनांक/राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

निबंधक, सहयोग समितियॉ/प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ/जिला सहकारिता पदाधिकारी*

.... ।

नोट- *जो लागू नहीं हैं, उन्हें काट दें।

प्रपत्र-II

सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित स्वावलम्बी समितियों के निर्वाचन हेतु चौमाही प्रतिवेदन का प्रपत्र ।

जिला का नाम : ....

प्रतिवेदन की अवधि –प्रथम/द्वितीय/तृतीय चौमाही*

वर्ष : ....

क्रम सं॰	स्वावलम्बी समितियों के नाम	निबंधन संख्या	प्रखंड का नाम	सदस्यों की संख्या	विगत निर्वाचन की तिथि	निर्वाचन की देय तिथि	बैंक ड्राफ्ट संख्या/ दिनांक/राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	

निबंधक, सहयोग समितियाँ/प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी*

.... ।

नोट- *जो लागू नहीं हैं, उन्हें काट दें।